मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 11/01/2022

क्रमांक एफ 04–91/2021/18–1, :: राज्य शासन एतदद्वारा, समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 06.02.2021 में की गई अनुशंसाओं के क्रम में निम्नलिखित मुख्य नगर पालिका अधिकारी ("ख" श्रेणी) के गोपनीय प्रतिवेदनों प्राप्त हो जाने पर परिभ्रमण के माध्यम से उनके नाम के सम्मुख कॉलम 03 में उल्लेखित समयमान वेतनमान, कॉलम–04 में अंकित दिनांक से स्वीकृत करता है:–

क्रमांक	मु.न.पा.अधिकारी "ख"श्रेणी का नाम	प्रथम, द्वितीय, तृतीय उच्चतर समयमान वेतनमान	देय दिनांक
01	02	03	04
01	श्री रणवीर कुमार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी	द्वितीय समयमान (15600–39100+6700)	31.10.2010

2/– कार्यालय प्रमुख द्वारा वेतन निर्धारण करने के पूर्व संबंधित अधिकारी की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत अभिलेख से निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में पुष्टि कर ली जावे:–

2.1– यदि अधिकारी को समयमान वेतनमान की स्वीकृत की तिथि के पूर्व के सेवाकाल में कोई अकार्य दिवस घोषित किया गया हो तो समयमान वेतनमान का लाभ देते समय इस अवधि को गणना में शामिल न किया जाए।

2.2– सुनिश्चित करें कि समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिनांक से विगत पांच वर्षो में कोई दण्ड प्रभावशील तो नहीं रहा है। यदि उक्त अवधि में दण्ड प्रभावशील रहा है तो उनसे संबंधित समयमान वेतनमान का यह स्वीकृति आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा।

2.3– यदि संबंधित अधिकारी के विरूद्ध समयमान वेतनमान की स्वीकृति दिनांक से विगत पांच वर्षो में कोई विभागीय जॉच आदि चल रही हो तो समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण करने के पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली जावे।

2.4– समयमान वेतनमान के वेतन निर्धारण के समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24.01.2008, ज्ञाप क्रमांक एफ 11–17/2014/नियम/चार दिनांक 30.09.2014, ज्ञाप क्रमांक एफ 11–7/2020/नियम/चार, दिनांक 24.08.2020 एवं ज्ञाप क्रमांक 177/1516/2020/नियम/चार, दिनांक 02.02.2020 एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।

2.5— इस आदेश द्वारा स्वीकृत यह समयमान वेतनमान संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, पेंशन द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही देय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तरूण राठी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 11/01/2022

पृ0क्रमांक एफ 04—91/2021/18—1

प्रतिलिपिः—

01— विशेष सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

02— स्टाफ आफिसर प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

03— आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।

04— संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल (म.प्र.)

05— श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांट्रेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल की ओर वेब साईट पर प्रदर्शित हेतु।

06— संबंधित अधिकारीगण———————।

07— आर्डर बुक

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग